

कार्यालय-प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, देवास (म0प्र0)

क्रमांक-42 / S.W. / F-35 / 2026

देवास, दिनांक-21.05.2026

:0: आदेश :0:

इस न्यायिक जिला स्थापना पर कार्यरत द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश, खातेगांव (श्री विवेक शिवहरे) जिला-देवास के न्यायालय में लंबित आपराधिक प्रकरणों की संख्या, प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश, खातेगांव (श्रीमती सीता कनौजे) जिला-देवास के न्यायालय में लंबित प्रकरणों से, अपेक्षाकृत अधिक है।

अतः मैं, अजय प्रकाश मिश्र, प्रधान जिला न्यायाधीश देवास, धारा-449 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश, खातेगांव जिला-देवास के न्यायालय में दिनांक-22.05.2026 की स्थिति में लंबित **समस्त आपराधिक अपील एवं आपराधिक पुनरीक्षण** प्रकरणों को, उक्त न्यायालय से प्रत्याहरित कर, विधिवत् सुनवाई एवं निराकरण हेतु **प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश, खातेगांव (श्रीमती सीता कनौजे) जिला-देवास** के न्यायालय में अंतरित करता हूँ।

यहां यह भी स्पष्ट किया जाता है कि द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश, खातेगांव के न्यायालय में पूर्व से दिनांक 22.05.2026 को निर्णय/आदेश हेतु नियत आपराधिक अपील या आपराधिक पुनरीक्षण प्रकरण, इस आदेश के तहत अंतरित नहीं किए जा रहे हैं।

तदनुरूप, प्रकरण अविलम्ब सम्बंधित न्यायालय को भेजे जाएं।


(अजय प्रकाश मिश्र)

सत्र न्यायाधीश,

देवास (म0प्र0)

पृष्ठांकन क्रमांक/1975/S.W./F-35/2026

देवास, दिनांक-21.05.2026

प्रतिलिपि:-

01. श्री विवेक शिवहरे, द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश, खातेगांव जिला-देवास की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ इस निर्देश सहित प्रेषित कि आदेशानुसार, अंतरित प्रकरण सम्बंधित न्यायालय को प्रेषित कर, तदनुरूप अंतरित प्रकरणों की सूची की छाया प्रति इस कार्यालय को प्रेषित किया जाना सुनिश्चित करें।
02. श्रीमती सीता कनौजे, प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश, खातेगांव की ओर सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।
03. प्रस्तुतकार, प्रधान जिला न्यायाधीश, देवास की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
04. अध्यक्ष, अभिभाषक संघ, खातेगांव, जिला-देवास की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
05. जुनियर सिस्टम एनालिस्ट, कम्प्यूटर अनुभाग, देवास, की ओर उक्त आदेश को जिला न्यायालय, देवास की वेबसाइट पर अपलोड करने के निर्देश सहित अग्रेषित।


(अजय प्रकाश मिश्र)

सत्र न्यायाधीश,

देवास (म0प्र0)